

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्यय पदाधिकारी)
कला एवं संस्कृति विभाग,
बिहार, पटना।विषय:-
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निधि का आवंटन। पटना दिनांक 22/09/2026

स्वीकृत्यादेश संख्या 409 दिनांक 10.09.2026 के आलोक में बिहार संग्रहालय, पटना एवं पटना संग्रहालय, पटना के स्थापना एवं सम्यक संचालन तथा रख-रखाव के निमित्त बिहार संग्रहालय समिति, पटना को सहायक अनुदान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-0001-संग्रहालय, विपत्र कोड 08-2205001070001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन में तत्काल कुल राशि ₹ 26,00,00,000/- (छब्बीस करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:-

विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	तत्काल आवंटन	कुल आवंटन
3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन	₹ 0	₹ 26,00,00,000	₹ 26,00,00,000
योग:-	₹ 0	₹ 26,00,00,000	₹ 26,00,00,000

तत्काल आवंटित राशि ₹ 26,00,00,000/- (छब्बीस करोड़ रुपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 65 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली-2024 (संशोधित), बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार अधिमानता नीति-2024 एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा एवं जहाँ आवश्यक हो वहाँ नियमानुकूल स्वीकृति प्राप्त कर e-proc/Gem से निविदा आमंत्रित की जाय।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 स्वीकृत्यादेश संख्या 409 दिनांक 10.09.2026 के द्वारा बिहार संग्रहालय समिति, पटना को ₹ 40,00,00,000/- (चालीस करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 65 प्रतिशत के अंतर्गत CFMS में तत्काल कुल ₹ 26,00,00,000/- (छब्बीस करोड़ रुपये) मात्र उपलब्ध रहने के कारण कुल ₹ 26,00,00,000/- (छब्बीस करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन दिया जा रहा है। शेष राशि का आवंटन तृतीय चौमाही में की जायेगी।

6 स्वीकृत राशि के लेखा जोखा असुर रखा जायेगा। भारत/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा। स्वीकृत राशि या उसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संबंधित संस्था से राशि वसूलनीय होगी।

7 स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

8 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 22/09/2026

ज्ञापांक 181/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 181/

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 22/09/2026

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।